

महिलाओं की विकास नीति मध्यप्रदेश के संदर्भ में – एक अध्ययन

डॉ. दीपक जॉनसन

सहा० प्राध्या० (राजनीति शास्त्र)

शासकीय आदर्श महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)

सारांश— महिलाओं की भागीदारी के महत्व को स्पष्ट रूप से, भारतीय संविधान में शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के तौर पर स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान में महिलाओं की विकास के लिए समान अवसर प्रदान किये जाने की निश्चितता को संविधान की धारा 14, 15, और 16 में प्रतिपादित किया गया है। इन धाराओं के अनुसार प्रत्येक भारतीय महिलाओं को कानून के समक्ष बराबरी की हकदार हैं और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समानता का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे बच्चों एवं महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु विशेष कानून बना सकते हैं। संविधान की धारा 39 (ए), (डी) और (इ) एवं धारा 42 में पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के अधिकार, महिला एवं बाल-कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा, समान कार्य के लिये पुरुष-महिला को समान वेतन पाने का अधिकार, कार्य स्थल एवं कार्य की मानवीय परिस्थितियां, मातृत्व की रक्षा एवं इसे सुविधा प्रदान किये जाने की बात कही गई है। इस शोधपत्र के माध्यम से महिलाओं की विकास नीति को मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द—: शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महिला नीति एवं अधिकार एवं स्वरोजगार।

प्रस्तावना—:

महिलाओं की सहनशीलता को कमजोरी समझकर पुरुष प्रधान समाज बर्बर एवं अत्याचारी बनता गया। समय के साथ महिलायें मानसिक गुलामी का शिकार होती गईं, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि वे स्वयं पुरुष के साथ मिलकर महिलाओं पर अत्याचार करने में सहभागी की भूमिका निभाने लगी। पुरुष के पुरुषार्थ ने उसमें छिपी हुई पशुता को जगाया एवं बढ़ाया परंतु अधिकार लालसा की भावना ने पुरुष प्रधान समाज की स्थापना में महिलाओं ने सहायक की भूमिका का निर्वाह किया। दूसरी तरफ महिला की सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक कोमलता एवं प्रजाति रक्षा की भावना ने समझौता एवं समर्पण का आग्रह किया, जिसे उसने सहनशीलता का

परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक पतन की इस घृणित स्थिति में सुधार लाने हेतु समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किये, इन रूढ़ीगत सामाजिक मान्यताओं को मिटाने के लिए समाज सुधारकों के प्रयासों के साथ ही सामाजिक विधानों, नियमों एवं कानून का भी सहारा लिया गया। समाज सुधारकों के इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं—

1. राजाराममोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप **सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829** में पारित हुआ। इस अधिनियम के 158 वर्ष बाद 1987 में जयपुर के देवराला गांव में रूप कुंवर नामक महिला सती हुई। उसके बाद 6 दिसम्बर 1987 को संसद द्वारा सती निवारण विधेयक पारित किया गया।
2. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप **हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856** में पारित हुआ।
3. हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से **बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929** पारित हुआ। जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस संबन्ध में पूर्व के कानून 1860 व 1891 में सुधार करके लड़कियों की विवाह के समय आयु सीमा 10 वर्ष एवं लड़कों की 12 वर्ष को बढ़ाकर क्रमशः 15 वर्ष एवं 18 वर्ष कर दी गई।
4. हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करने हेतु **हिन्दू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937** पारित किया गया।
5. अलग रहने एवं भरण – पोषण का **अधिकार अधिनियम 1946**।
6. **विशेष विवाह अधिनियम 1954** के तहत विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों को परस्पर विवाह की कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई।
7. **हिन्दू विवाह अधिनियम 1955** हिन्दुओं जिनमें जैन, बौद्ध एवं सिक्ख सम्मिलित हैं, इन सभी को विवाह एवं तलाक की सुविधा प्रदान की गई।
8. **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956** उत्तराधिकार से सम्बन्धित पूर्व के नियमों को समाप्त कर सभी हिन्दूओं पर एक सा नियम लागू किया गया। इस अधिनियम के

पश्चात् विधवा महिला अपने मृत पति से प्राप्त सम्पत्ति का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकती है। सामाजिक पतन की इस घृणित स्थिति में सुधार लाने हेतु समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किये, इन रूढ़ीगत सामाजिक मान्यताओं को मिटाने के लिए समाज सुधारकों के प्रयासों के साथ ही सामाजिक विधानों का भी सहारा लिया गया।

9. **हिन्दू नाबालिक संरक्षण अधिनियम 1956** इस अधिनियम से पूर्व पिता की मृत्यु के बाद नाबालग बच्चे का संरक्षक बनने का अधिकार केवल पिता पक्ष को था, अब यह अधिकार माँ को भी दिया गया।
10. **हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956** इस अधिनियम में गोद लेने एवं भरण – पोषण सम्बन्धी कई अधिकार महिलाओं को प्रदान किये गये।
11. **दहेज निरोधक अधिनियम 1961** दहेज लेना देना अपराध की श्रेणी में आ गया एवं उपहार में प्राप्त वस्तु पर कन्या के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। **1985 में संशोधन** कर इसे और कठोर बना दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिये **तलाक अधिकारों** का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है।

समाज सुधारकों ने यह अनुभव किया कि जब तक महिलायें आत्मनिर्भर एवं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनमें वांछित सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि सामाजिक विधानों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में वांछित सुधार नहीं हो पाया। महिलाओं की दृष्टि से भी सम्पूर्ण आबादी के लगभग आधे भाग को आर्थिक गतिविधियों से वंचित रख कर न तो सामाजिक उत्थान सम्भव है, न राष्ट्रीय उत्थान की कल्पना की जा सकती है। नौकरियाँ या रोजगार के साधन सिमित हैं, स्वरोजगार के माध्यम से ही इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव है। आज केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिससे महिलायें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उद्यमिता के क्षेत्र में भी पुरुषों की बराबरी में आ सके।

शोध प्रविधि :-

शोधकार्य का आधार द्वितीयक समंक है जो सरकारी सूचनाओं, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों, समय समय पर महिलाओं के उत्पीड़न एवं स्थिति में सुधार हेतु किए गए कानूनों में संशोधन एवं इंटरनेट द्वारा प्राप्त जानकारी हैं। योजना संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष सलाहकार द्वारा जुटाई गई है। शोध

का निष्कर्ष शोध विधियों के विश्लेषण उपरांत निकाला गया है।

विश्लेषण :-

ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु **16 दिसम्बर 1991** को संसद में **72 वां** संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे पंचायती राज्य व्यवस्था को नये रूप में लागू किया जा सके। इसी संदर्भ में राज्यसभा एवं लोकसभा में **22 सितम्बर 1992 को 73 वां** संशोधन विधेयक पारित हुआ। जिसके तहत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे एक वर्ष की समय सीमा में 73 वें संशोधन के अनुरूप कानून बना लें, इसी संदर्भ में 30 दिसम्बर 1993 को **मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993** पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने के बाद 25 जनवरी से यह मध्यप्रदेश में लागू हो गया। इसे तीन स्तरीय रूप में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक तथा अन्य सभी प्रकार के विकास कार्यों एवं उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व एवं अधिकार पंचायतों को दिया गया। इस व्यवस्था में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। **मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993** में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ राजनीति चेतना जगाने एवं प्रत्यक्ष रूप में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है –

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये गये हैं।
2. जिन ग्राम पंचायतों के वार्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित हैं वहाँ कुल स्थानों की संख्या का 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है।
3. सभी वर्गों में महिलाओं के लिये कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था कही गई है।

एक तरफ केन्द्र सरकार ने महिलाओं के लिए सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में कम से कम 30 प्रतिशत तक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार ने 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक उनको स्थान दिये जाने की बात कही है। सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, योजनाओं का

उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके, वे आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए सरकार ने महिला नीति का निर्धारण किया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से बचाने हेतु समाज के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक संसाधनों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के उत्पादन एवं प्रजनक श्रम को समाज में समान महत्व प्रदान करने तथा पारिवारिक एवं सामाजिक सम्पत्तियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक कानूनों एवं नियमों को बनाया है, जिससे महिलायें शक्ति सम्पन्न व सामर्थवान बनकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास कार्यों में सहभागी बनें। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश सरकार की महिला नीति के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं –

1. महिलाओं में स्वयं का आत्मविश्वास जगाकर उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना।
2. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं पर होने वाले अत्याचार क्रूरता एवं हिंसा का निवारण करना।
4. महिलाओं के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस संदर्भ में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाना।
5. सामाजिक जीवन में महिलाओं को पूर्ण रूप से भागीदार बनाना, सभी प्रकार के निर्णयों में उन्हें हिस्सेदार बनाना तथा उनकी भूमिका को महत्व प्रदान करना।
6. सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी हेतु सकारात्मक कदम उठाना।
7. महिलाओं को सामर्थ्यवान जिससे वे जागरूक बनकर, सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का लाभ उठाने की क्षमता प्राप्त कर सकें।
8. महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में व्यापक स्तर पर बदलाव लाना तथा समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

सरकार ने अपने सभी विभागों को इन लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहा है, जिससे महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर समाज में प्रतिष्ठा का जीवन-यापन कर सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिकताओं को निर्धारित की गई हैं। कुछ ऐसी प्राथमिकतायें नीचे लिखी जा रही हैं जिसका महिलाओं के रोजगार विकास से सीधा संबंध है –

1. सरकारी आर्थिक उत्पादकों के रूप में महिलाओं को सक्रिय करने के लिये समर्थन प्रदान करेगी। उसका यह प्रयास होगा कि महिलाओं के बचत एवं साख समूहों, डाकघरों, ग्राम्या जैसे बुनियादी कार्यक्रमों, जिला आपूर्ति एवं विपणन अभिकरणों, महिला आर्थिक विकास निगम जैसे प्रादेशिक अभिकरणों, राष्ट्रीय महिला कोष जैसे राष्ट्रीय अभिकरणों से महिलाओं की गतिविधियों को जोड़ा जाये, जिससे आर्थिक उत्पादक कार्यों में महिलाओं को समय पर सहायता उपलब्ध हो सके तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
2. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। सामूहिक संसाधनों, भूमि एवं सम्पत्ति पर महिलाओं का नियन्त्रण स्थापित करने में सरकार मदद करेगी।
3. ऐसे घरों, जिसमें महिलायें ही प्रमुख हैं उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी और सभी परियोजनाओं में उन्हें समर्थन प्रदान करके स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे महिलाओं नियोजन की सभी प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में सहभागी बनें। उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के प्रयास किये जायेगे, जिससे विकास की किरणें महिलाओं तक पहुंच सकें तथा वे लाभान्वित हो सकें।
4. सरकार का यह मानना है कि महिलायों सामूहिक सम्पत्ति एवं संसाधनों के विकास में प्रमुख रूप से भागीदारी हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि इस प्रकार के संसाधनों के प्रबन्धन एवं निर्णय में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
5. सांख्यिकीय अभिलेखों में महिलाओं से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली प्रणाली को इस प्रकार बनाया जायेगा कि लिंगानुसार विवरण प्राप्त किये जा सके जिससे महिलाओं से संबंधित जानकारियाँ वास्तविक धरातल पर ज्ञात की जा सके। ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे महिलाओं के घरेलू श्रम की भी झलक प्राप्त की जा सके।
6. विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिये सरकार प्रयास करेगी। इस संदर्भ में नौकरियों में महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी।
7. सरकार द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की सलाहकार परिषदों तथा शक्ति सम्पन्न समूहों में महिलाओं हेतु 30

प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित किया जायेगा। यह कम से कम कुल संख्या का एक तिहाई तक होगी।

8. सरकार महिलाओं को उत्पादन के रूप में मान्यता प्रदान करेगी तथा सभी प्रकार के विस्तार कार्यक्रमों में उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।
9. घरेलू एवं अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं को साख और संस्थागत वित्तीय सहायता न्यापूर्ण ढंग से प्राप्त कराने हेतु सरकार उपाय करेगी। इसके लिये प्रभावी योजनायें बनाकर मदद की जायेगी।
10. कृषि और कृषि से जुड़े एवं शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों जिससे महिलायें बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में सरकार महिलाओं में तकनीकी उद्यमिता, प्रबन्धन कौशल को बढ़ाने व मजबूत करने का उपाय करेगी। इसी तरह के उन्नयन का प्रयास महिला दस्तकारों, कास्तकारों एवं कारीगरों के लिये भी किये जायेंगे।
11. महिलाओं तक औद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के लिये सरकार विशेष प्रयास करेगी। इस क्षेत्र में उन सभी उपायों को बढ़ावा देगी जिससे महिलाओं तक प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ पहुंच सके।
12. साख सुविधा विस्तार कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी एवं विपणन आदि में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिये एक व्यापक प्रणाली विकसित एवं क्रियान्वित की जायेगी।
13. गृह उद्योग, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प के क्षेत्र में महिलाओं की प्रधान भूमिका को मान्यता प्रदान की जायेगी। उनकी इस प्रधान भूमिका को विकासशील, लाभदायक एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जायेगा।
14. सरकार के सभी अभिलेखों में महिला नीति के क्रियान्वयन की निगरानी की व्यवस्था की जायेगी तथा उसका पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।
15. महिलाओं तक सभी विकास योजनायें पहुंच रही हैं, यहीं नहीं इसे निश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की सभी विस्तार सेवाओं में महिलाओं के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे।
16. शहरी क्षेत्रों, स्थानीय संस्थाओं, गृहनिर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरण जैसे निकायों में दुकानों, व्यापारिक भू-खण्डों आदि के आवंटन में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में चल रही योजनाओं के लिए सभी क्षेत्रों में

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से बचाने तथा समाज के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक संसाधनों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी में साख का प्रवाह समुचित ढंग से हो सके, इसके लिये राज्य स्तर पर समन्वयक समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकों की समिति में महिलाओं के उपयोगकर्ता समूहों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा। राज्य स्तर से नीचे कार्य करने वाले अभिकरणों, जैसे जिला, ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय बैंकों की समितियों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं – ग्रामीण बैंकों, मण्डलों एवं सहकारी समितियों में भी यह प्रावधान लागू किया जायेगा एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

संदर्भ सूची:-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण: (2025–26), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश पृष्ठांक: 01–536
2. Agrawal, Bina (1974); A Field of one's own Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge University Press, Cambridge.
3. Celine, Rani (1992); Emaging pattern of rural women in India, Radha Publication New Delhi.
4. Desai N & Usha Thakkar (2003); Women in India Society National Book Trust, New Delhi.
5. Ghosh, Bhola Nath (2002) Rural Women Leadership Mohit Publication New Delhi.
6. Kaushik shushila (1993); Women and Panchayati Raj, Har – Anand Publication, New Delhi.
7. Mehta, S.R. (1970); The western educated Hindu women, Asia publising house, Bombay.
8. Panchandikar, K.C. & JN Panchandikar (1967); Domestic structure and adjustment in Panchayati Raj Bodies, Ed. George, J. Readings on Panchayati Raj in India National Instilute of Community Development Hyderabad.

9. Qudeer, Imrana (1999); Women and family welfare Ed.-Biduyt mohanti, women and political empowerment.
10. Srinivas, M.N. (1996); Social change in modern India university of California press.
11. Sinha, Niroj (2000); Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi.